UPSR040012892026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

बेल अप्लीकेशन/624/2026

राज्य बनाम. शाहरूख खान

दिनांक–12.03.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–207/2025 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती में अभियुक्त **शाहरुख खान** ने इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि उसे फर्जी एवं निरर्थक रूप से फंसाया गया है। वह निर्दोष हैं। अतः उसे उचित जमानतों पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त की ओर से स्वयं को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया जिस पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त उपरोक्त मामले में वाँछित अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात वर्ष तक या उससे कम दण्ड से दण्डनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

अतः अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त को बीस हजार रुपये का जाती मुचलका एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।